भारतीय संसदीय व्यवस्था के समक्ष भ्रष्टाचार एवं काले धन की चुनौतियाँ

*डॉ. रमेशचन्द्र शर्मा

वर्तमान में भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जहाँ भ्रष्टाचारियों, जमाखोरों और अपराधियों ने एक तरह से सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। नेता, अफसर और अपराधी गठजोड़ ने ईमानदार और मानवीय संवेदना से युक्त समाजसेवकों और आम जनता को प्रत्यक्ष प्रशासनीक भागीदारी से दूर कर दिया है और भारतीय संसदीय व्यवस्था को पंगु एवं नाकारा बनाने पर तुले हुए हैं। निर्वाचन से लेकर प्रशासन और कानून निर्माण से लेकर इसके क्रियान्वयन तक सारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। इस भ्रष्टाचार, दलाली और आम जनता के हितों के विरूद्ध किये गये कार्यों के माध्यम से जमा किया गया अकूत धन जिसके स्रोत अनैतिक, गैर कानूनी और अवैध है काला धन कहलाता है। यही काला धन बेनामी सम्पति और विदेशी बैंको में निवेश किया गया है जो सही मायने में भारतीय जनता के कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था वही धन इन भ्रष्टाचारियों के माध्यम से काले बाजार, गैर कानूनी व्यापार, रियलएस्टेट, शेयर बाजार, विदेशी बैंक और विदेशी बाजारों में इन्ही भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारियों की इस अवैध दौलत में गुणात्मक वृद्धि कर रहा है जिससे धन बल का दुरूपयोग बढ़ रहा है। धन बल के इस्तेमाल से मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जा रहा है तथा अवैध तरीके अपनाकर सत्ता में बने रहने की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग लालच के वशीभूत होकर अपने ही लोगों से गद्दारी कर रहें हैं वही देश के दुश्मनों का भी साथ दे रहे हैं। आज वैश्विकरण के दौर में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों के साथ–साथ भारतीय संस्कृति पर भी हमले हो रहें है। नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। ऐसी परिस्थितीयों में हमें भारतीय संसदीय व्यवस्था के मूल आधारों व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु कठोर कदम उठाने होगें तथा भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़नी होगी यह कोई आसान काम नहीं है। आम जनता की जागरूकता व सहयोग से ही इस संगठित गठजोड़ को ध्वस्त किया जाना संभव हो सकता है।

इस शोध पत्र में भारतीय संसदीय व्यवस्था पर भ्रष्टाचार और काले धन के दुष्प्रभावों की तरफ ध्यानाकर्षण का प्रयास किया गया है। आवश्यकता है भारतीय नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रोत्साहन तथा जन–जागृति को प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन एवं सरकार से जोड़ने एवं उत्तरदायी जन प्रतिनिधियों से संयुक्त सरकार की स्थापना होगी।

अनुसंधान के उद्देश्य–

1. भ्रष्टाचार के उत्तरदायी कारणों की खोज करना।
2. भ्रष्टाचार–निरोध के लिए अपनाए गए प्रशासनिक एवं संस्थागत उपायों का विश्लेषण करना।
3. शासन सुधान के माध्यम से नागरिकों के विश्वास, भागीदारी तथा प्रशासनिक गुणवत्ता में आए परिवर्तन को समझना।

शोध पद्धति–

आलेख में वर्णनात्मक और गुणात्मक शोध–पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। सरकारी तंत्र का वर्णन, शिकायत निवारण–प्रक्रिया, प्रशासनिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का विवरण। नीतियों के प्रभावों का अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारतीय संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचार और काले धन के दुष्प्रभावों के कारण कई बार अस्थिरता के दौर से गुजरी है। और जन–साधारण का विश्वास लोकतंत्र से डगमगाने लगा। लेकिन इन उतार–चढ़ावों के बावजूद भी भारतीय संसदीय व्यवस्था लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार और काला धन एक दूसरे का विषय बने हुए है। अधिकतर नीति निर्माता, व्यापारी तथा नागरिक समाज के लोग खुले रूप से इसकी आलोचना करते हैं और विरोध जताते है। लोगों में जागरूकता का स्तर भी व्यापक रूप से बढ़ा है और लोग भ्रष्टाचार और काले धन विरोधी कानून बनाने व इसके लागू करने की मांग पर जोर देते है। जन–जागरूकता और शिक्षा दोनों ही इस दिशा में सार्थक प्रयास करने हेतू आवश्यक है।

भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे के प्रति जन–साधारण की बढ़ती हुई जागरूकता, लोकतंत्र का विकास और आम जनता तक प्रसार, वोट एवं अन्य नागरिक अधिकारों के इस्तेमाल के माध्यम से भ्रष्टाचार का विरोध जन–जागरूकता का प्रतीक है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

पर भी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विदेशी अनुदान का मुख्य आधार विचारधारा नहीं रही बल्कि व्यापार एवं विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। भारत जैसे देश, जहां भ्रष्टाचार का स्तर अधिक है, प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक स्तर पर विदेशी निवेश एवं अनुदान को प्रयाप्त मात्रा में आकर्षित कर पाने में असफल रहे हैं। साथ ही घरेलू स्तर पर भी भारतीय बाजार अधिक सफल नहीं हो पाया है।

काला धन–

काले धन से अभिप्राय उस पूंजी से है जिसको अवैध साधनों द्वारा अर्जित किया गया हो एवं आय के स्रोत को बेनामी रखा गया हो या छुपाया गया हो और उसका रिकार्ड उपलब्ध न हो अर्थात बेनामी संपति। जिसमें रिश्वत का धन, काला बाजारी, घोटालों का धन, कर चोरी, राजस्व की अनियमितताय एवं चोरी आदि सम्मिलित है। यह धन गुप्त रूप से बाजार में निवेशित कर दिया जाता है और इसकी मात्रा में गुणात्मक वृद्धि होती रहती है जो देश की अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते है। ऐसे धन का इस्तेमाल राष्ट्रविरोधी और गैर कानूनी गतिविधियों में किये जाने की संभावना अधिक होती है और यही धन समाज में धूस खोरी एवं अनैतिकता की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। रिकार्ड के मुताबिक स्विट्जरलैण्ड के बैंको में भारत का अवैध धन काफी मात्रा में भ्रष्ट भारतीयों द्वारा जमा किया गया है। एक रिर्पोट के अनुसार वहॉ के बैकों में जमा काले धन में सर्वाधिक मात्रा में भारतीयों द्वारा जमा किया गया है।

भ्रष्टाचार के कारण

आज भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासन में व्याप्त हो चुका है। वर्तमान में भारत में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार फैल चुका है। भ्रष्टाचार दो तरफा गति करता है किसी काम में पक्षपात हेतू घूस देना और लेना दोनों ही प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। प्रशासनिक सेवाएं एवं न्यायिक सेवाएं भी इससे अछूती नही है। ब्रिटिश भारत में नौकरशाही को बेदाग माना जाता था स्वतंत्र भारत में निर्वाचन राजनीति की बाध्यताओं ने इस छवि में परिवर्तन किया और प्रशासनिक सेवाए एवं पुलिस और न्यायिक सेवाओं पर राजनीतिक नेतृत्व के साथ सांठ–गांठ के गंभीर आरोप लगे है। इस तरह की व्यवस्था एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार को जन्म देती है और इससे नकली लोकतंत्र का जन्म होता है।

1960 के दशक को भारतीय प्रशासन के इतिहास में विभाजक माना जाता है इस दौरान गांधी एवं नेहरू युग की सिद्धांतवादी राजनीति मन्द पड़ गई थी और मुख्यतः अनैतिक राजनीतिक प्रक्रियाए उभरी। 1990 के दशक में घोटालो और कलंकित कारनामों के आरोपी व्यक्तियों में पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी सम्मिलित थे। भ्रष्टाचार के साथ भारत का अनुभव दिखाता है कि कानून, नियम, अध्यादेश, प्रक्रियाएं और सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन के तरीके यद्यपि प्रभावी एवं कारगर है लेकिन अपने आपसे गहरे जूड़े हुए है क्योंकि भ्रष्टाचार की प्रक्रिया ही काले धन को जन्म देती है और इसकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य रूप से चर्चा प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन का आश्वासन नही दे सकते अगर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व अपने दायित्वों पर अमल नहीं करे और अपनी शक्तियों का दुरूपयोग व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति हेतू करे।

राजनीतिक संरक्षण– वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण निर्विवाद रूप से राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में देश की पतवार होना है। इस भ्रष्टाचार के स्रोत से अनेक धाराएं निकलती है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां आदि है। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक नेतृत्व का उद्भव समाज के निचले स्तर से क्षेत्रिय, जातीय, भाषायी और अनेक आंदोलनों के आधार पर हुआ इन्होंने राजनीतिक व प्रशासन की प्रकृति में परिवर्तन किया। नैतिकता विहीन राजनीति स्वार्थ परता और अधिकारों एवं शक्तियों के इस्तेमाल में संवैधानिक मानदण्डों का उल्लधंन करना और किसी भी कीमत पर अपनी राजनीति का बचाय रखना सभी क्रियाकलापों का मुख्य आधार बन गया है साथ ही न्यायिक प्रशासन में दखलंदाजी करना और नौकरशाही को झुकाना आदि ।

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर करने वाला सर्वप्रथम दस्तावेज ए.डी. गौरवाला रिर्पोट थी। इसके अनुसार चरित्र निर्माण राष्ट्र निर्माण का आधार था और चरित्र में पतन के फलस्वरूप 1947 के बाद के काल में दो मुख्य कारण थे पहला युद्ध के प्रभाव रू द्वितीय विश्व युद्ध लालच और हिंसा की अभिव्यक्ति था युद्ध काल में लोगों ने कानूनी और गैर कानूनी लाभ अर्जित किया और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता ने लोगों ने केवल आध्यात्मिकता के अवशेष ही छोड़े। (विश्वनाथन एवं सेठी, 1997) गौरवाला रिर्पोट में राजनैताओं द्वारा आम जनता के सामने छोड़े गये उदाहरणों की भत्सर्ना की।

जे.वी. कृपलानी की अध्यक्षता में गठित रेलवे जांच समिती के अनुसार 'नागरिकता की असफलता भ्रष्टाचार है।' घूसखोरी, बिना टिकीट यात्रा और चोरी आदि कार्य राज्य का पतन करते है। इसमें सुझाव दिया गया कि 'प्रशासनिक सुधारों और दण्डात्मक प्रावधानों के बावजूद उच्च अधिकारियों और नेताओं को सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए।'

इसी तरह से जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपने भ्रष्ट सहयोगियों के बचाव ने इसमें कोई सुधार नहीं किया बल्कि भ्रष्टाचार के संगीन मामलों को दबाने और छुपाने ने इसको आधिकारिक मान्यता प्रदान की और इसने कानून के शासन और नैतिकता की राजनीति को महत्वहीन बना दिया। (नूरानी, 1973) स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र को मजबूत करने हेतू उच्च राजनीतिक मानदण्डों की स्थापना और दोषी को सजा देने में कोई न देने की अत्यतं आवश्यकता थी अपने भ्रष्ट सहयोगियों और पार्टी के व्यक्तियों के प्रति नेहरू की सहनशीलता और इसमें कुछ असफलताओं की वजह से भारत ने अत्यधिक भारी कीमत अदा की। (गिल, 1998)

आपातकाल (1975–77) के दौरान की गई कार्यवाहीयों की जाँच के लिए गठित शाह आयोग ने भारत में भ्रष्टाचार के प्रसार एवं प्रोत्साहन में राजनैताओं की भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर किया। जस्टिस शाह ने आपातकाल के दौरान संजय गांधी की भूमिका पर अपने वक्तव्य को सुरक्षित रखा। जस्टिस शाह ने कहा कि जिस तरह से संजय गांधी ने दिल्ली में सार्वजनिक क्रियाकलापों को अंजाम दिया वे आपातकाल की कार्यवाहियों का उदाहरण है और स्वतंत्र भारत में वैधानिक और सत्ता के इस तरह के इस्तेमान का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। अगर इस देश को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है तो लोगों को यह देखना होगा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और असवैंधानिक शक्ति का केन्द्र जैसा कि आपातकाल के दौरान संजय गांधी के इर्द–गिर्द था भविष्य में किसी भी रूप, शक्ल और बहाने से कभी भी नहीं आने देना चाहिए।' (इण्डिया, 1978)

भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के बीच सांठ–गांठ कुछ घोटालों से स्पष्ट हो गई जैसे बिहार में चारा घोटाला, तमिलनाडू में कोयला घोटाला, यूरिया घोटाला, टेलिफोन घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2जी घोटाला इत्यादि। जब भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित है तो इसे रोकना व नियंत्रित करना कठिन है और यह प्रशासन व समाज पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। दिसम्बर, 2008 में 522 संसद सदस्यों में से 120 पर आपराधिक आरोप थे। 2010 के कई बड़े घोटालों में उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, केबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री तक लिप्त पाये गये। जैसे कि 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला और 2010 कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, मुम्बई का आर्दश हाऊसींग सोसायटी घोटाला, कैश फॉर वोट स्कैम आदि।

प्रसार का अन्य प्रमुख प्रशासनिक जटिलताएं– जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया भ्रष्टाचार एवं काले धन कारण है। भारत का प्रशासनिक एवं कानूनी ढांचा 19वीं सदी के मध्य उपनिवेशी प्रशासनिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। भारतीय दण्ड संहिता जोकि अपराध नियंत्रण और आपराधिक न्याय का मुख्य उपकरण है 1860 में लागू किया गया था। इसी तरह से पुलिस का संगठन एवं संचालन भारतीय पुलिस एक्ट, 1861 के माध्यम से किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अस्तित्व में आया। भारतीय टेलिग्राफ एक्ट जो कि एयर–वेव एवं प्रसारण सुविधाओं की अनुमति देता है (वायरलैस के आविष्कार से भी पहले) 1855 में पास किया गया। सरकारी वितिय नियंत्रण के आधारभूत नियम 20वीं सदी में तब बनाये गये थे जब सरकार के आर्थिक लेन–देन और उत्तरदायित्व सरल थे।

ब्रिटिश सरकार ने यह कानून उपनिवेशी प्रशासन के नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाये थे। भारत मूल निवासियों के प्रति अविश्वास और प्रशासन करने की उनकी क्षमताओं में अविश्वास इसका आधार था और कार्यों में देरी, मुकद्दमों की लम्बी प्रक्रिया, बहाने आदि के प्रावधान इसमें सम्मिलित प्रावधान सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और काले धन को प्रोत्साहन देने के लिए उपयुक्त थे क्योंकि घूस से लम्बी प्रक्रिया एवं दण्ड को टाला जा सकता है। इसलिए यह पुरातन व्यवस्था लोकतांत्रिक, समतावादी, कल्याणकारी राज्य को प्रोत्साहन देने में असक्षम है। यह सामाजिक साम्य को समाप्त करने को बढ़ावा देती है ।

दण्ड का अभाव– भ्रष्टाचार एवं काले धन के प्रसार के कारणों में इसकी भी भूमिका है। प्रशासन एवं न्यायिक अधिकार के मुख्य कार्यकारियों की भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की अनिच्छा एवं अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरतना इसका कारण है। यह राजनीतिक, ट्रेड यूनियनों के दबाव और आर्थिक लोभ और आपराधिक जांच में अनिश्चिता की वजह से है। इसके परिणामस्वरूप भ्रष्ट और कालाबाजारी करने वाले मुश्किल से पकड़ में आ पाते है और अगर आते भी है तो बहुत कम सजा में छूट जाते है। साथ ही सरकारी अधिकरियों का इस मुद्दे पर निकम्मापन और गैर जिम्मेदाराना रवैया भ्रष्टाचार एवं काले धन के प्रसार के लिए उपयुक्त साबित होता है।

न्यायिक व्यवस्था अत्यधिक खर्चीली, जटिल और अपर्याप्त है जोकि किसी मुद्दे के निर्धारण में वर्षों लगा देती है। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण हर्षद मेहता का मामला, जिसमें लघु निवेशको के हजारों करोड़ रूपये डूब गये, लगभग दशक तक कोर्ट में चलता रहा। इस तरह की घटनाओं के परिणामस्वरूप देरी की वजह से अपराधी सजा से बच जाते है और इतनी लम्बी अवधि में साक्ष्य भी नष्ट हो जाते है। भारतीय न्यायालयों में दण्ड दिये जाने की दर 6 प्रतिशत है और लगभग 3 करोड़ मामले न्यायालयों में लम्बित है इनके निपटान का औसत समय 10–20 वर्ष अनुमानित है। (विट्टल, 1999) अधिकतर भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराध के मामलों में न्याय में देरी न्याय से वंचित रखना है।

सामाजिक वातावरण– वर्तमान वातावरण में सामाजिक मानसिकता एवं व्यवहार में भ्रष्टाचार और काला धन स्वीकृती पा चुका है। सामाजिक बुराईयां जैसे कि रिश्वतखोरी, पक्षपात, भाई–भतीजावाद, कालाबाजारी व अनैतिकता समाज में स्वीकृती के स्तर तक पहुँच चुका है। अनैतिक तरीके से धन जमा करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान दिया जा रहा। ऐसे लोग सता में बार–बार पहुँचते है और अपने लोगों को गैर कानूनी एवं अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाते है। अंतिम विश्लेषण के रूप में कहा जा सकता है कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर जनता द्वारा सर्जित किये जाते है क्यों कि वे समाज के बीच से ही आते है इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भ्रष्ट नेता व अधिकारी शान से न्यायालय जाते है और अपने समर्थकों की बधाईयाँ ऐसे स्वीकार करते है जैसे कोई लोक–सेवा का कार्य किया हो।

वर्ष 2014 भारत में भ्रष्टाचार की 28454 रिपोर्ट दर्ज हुई जिनमें 226.24 करोड़ की रिश्वतखोरी शामिल थी। भारत का स्कोर 100 में से 38 प्रतिशत है, जो भ्रष्टाचार की व्यापकता, गहराई को दर्शाता है।

भारत का भ्रष्टाचार रैकिंग स्तर

वर्ष 2014 से 2018

वर्ष	रैकिंग	स्कोर
2014	85	38
2015	76	38
2016	79	40
2018	78	41
2019	80	43

स्त्रोतः ए.डी.आर. रिकॉर्ड

विश्लेषण–

वर्ष 2018 में 175 देशों की सूची में भारत 94 नम्बर पर रहा। 2014 में यह 85 नम्बर पर था, 2010 से 2018 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमन वेल्थ ग्रेम्स महत्वपूर्ण रहे। मोदी शासन काल में नोटबंदी परप घोटालों के आरोप लगे है। भारतीय संसद में पिछले 15 वर्षों में 55 प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि सांसदों ने स्थान प्राप्त कर रखा है। 2009 लोकसभा में 30 प्रतिशत अपराधी पृष्ठभूमि से, 2014 में 34 प्रतिशत यानि 185 सांसद एवं 2019 में 233 अर्थात् 43 प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमि रही है।

भ्रष्टाचार एवं काले धन के परिणाम

भ्रष्टाचार एवं काला धन नैतिकता एवं विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह किसी निवेश परियोजना एवं व्यावसायिक कार्यों की सम्पूर्ण प्रक्रिया और समुदाय के सामाजिक व राजनीतिक परिवेश को विकृत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में भ्रष्टाचार के प्रभावों की व्याख्या करते हुए कहा है कि "सभ्य समाज में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह है जिसका अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो देश की सभ्यता को भंयकर ध्वंसात्मका प्रभावों की तरफ अग्रसर करेगा। इसे प्लेग की तरह मानते हुए अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। इसको भ्प्ट वायरस के समान मानते संक्रामक रोगों से ग्रस्त हुए उपचार रहित माना है और इसे शाही चोरी की संज्ञा दी गई है। इस तरह सामाजिकदृराजनीतिक व्यवस्था अपने बोझ से ही टूकड़े–टुकड़े हो जाती है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और सामाजिक व्यवस्था का विरोध और लोगों को निशाना बनाता है। अगर इस भ्रष्टाचार रूपी कली को नष्ट नहीं किया गया तो यह स्वस्थ, सम्पन्न, प्रभावी और गतिशील समाज को चरमरा देने वाले उपद्रव का कारण बनेगा।" (।प्त्, 2000, ै६, 870) आर्थिक विकास पर प्रभाव रू आंकड़े दर्शाते है कि अत्यधिक भ्रष्टाचार एवं काले धन के कारण सार्वजनिक निवेश में घाटा, सरकारी राजस्व में कमी, संचालन एवं रखरखाव में लापरवाही तथा लोकसुविधाओं का निम्न स्तर प्रदर्शित होता है। लोकनिवेश को मंहगा और इसकी उत्पादकता को कम करता है। इसके उदाहरण लोकनिर्माण और विद्युत विभाग, जो कि सबसे अधिक भ्रष्ट है, में दिखाई पड़ते है। भारत की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार एवं काले धन का स्मारक बन चुकी है। चार विभागों की अकुशलता (कस्टम, केन्द्रिय आबकारी, आयकार और प्रवर्तन निदेशालय) की वजह से बड़ी मात्रा में काला धन अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है और इसकी मात्रा 40,000 करोड़ से 100,000 करोड़ आंकी जाती है। उद्योग जगत, फिल्म उद्योग, निर्माण उद्योग और बड़ी संख्या में लघु उद्योग काले धन पर चल रहा है। (विट्टल, 1999) समाज पर प्रभाव रू भ्रष्टाचार की वजह से आधारभूत सामाजिक सेवाएं महंगी होती जा रही है और उपलब्धता कम हो जाती है। जैसे सरकारी डॉक्टर द्वारा घूस के बिना मरीज को मुफ्त दवा देने में कोताही बरतना, पुलिस अधिकारी द्वारा बिना घूस के प्रथम सूचना रिर्पाट दर्ज करने से कॉलेज में दाखिले से इंकार करना आदि। आनाकानी करना और प्रधानाचार्य द्वारा बिना घूस के स्कूल और इन सब के लिए गैर कानूनी धन (काले धन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यह इन सेवाओं के मूल्य में भी वृद्धि करते है। दुसरा कारण सरकारी धन को अधिकारियों द्वारा उनको लाभ पंहुचाने वाली परियोजनाओं पर खर्च करना उनकी प्राथमिकता होती है। (बर्धन, 1997) राजनीतिक प्रभाव– राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार व काला धन अन्याय और कानून के शासन के प्रति असम्मान को बढ़ावा देता है। मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं पर खतरा बढ़ता है क्योंकि निर्णय घूस की मात्रा पर निर्धारित किये जाते है। यहां तक की सरकारों का बनाना और गिराना धन बल पर निर्भर करता है। बहुमत साबित करने के लिए वांछित संख्या जुटाने के लिए सांसदों एवं विधायकों की खरीद–फरोक्त में काले धन का इस्तेमाल इसे और बढ़ावा देता है। इस तरह के वातावरण में भ्रष्टाचारियों और काला धन एकत्र करने वालों को शह मिलती है।

भ्रष्टाचार एवं काले धन की रोकथाम

भ्रष्टाचार एवं काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए गठित किये गये विभिन्न अभिकरणों की संख्या को देखते हुए लगता है कि सरकार इस रोग की रोकथाम के प्रति गंभीर है। स्वतंत्रता से पहले भी दुसरे विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए

विशेष दिल्ली पुलिस संगठन (क्वैच्) उपनिवेशी शासकों द्वारा बनाया गया था। 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट पास किया गया और गृहमंत्रालय में 1955 में प्रशासनिक निगरानी खण्ड बनाया गया और प्रत्येक मंत्रालय में निगरानी अधिकारी नियुक्त किये गये। बढ़ती हुई शिकायतों के कारण 1962 में इस मुद्दे की जांच व उपचारों के सुझाव हेतू के.संथानम की अध्य क्षता में भ्रष्टाचार रोकथाम समिती का गठन किया गया और इसके सुझावों के परिणामस्वरूप 1964 में मंत्रालयों के नियंत्रण से मुक्त केन्द्रिय निगरानी आयोग की स्थापना और दुसरा मुख्य कदम 1963 में केन्द्रिय अन्वेषण ब्यूरों का गठन किया जाना था। (गिल, 1998)

इस दिशा में कुछ कानूनी प्रावधानों एवं पहल का उल्लेख करते हुए **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के अनुसार सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिकों द्वारा मागीं गयी सूचना उपलब्ध कराना अनिर्वाय करते हुए इस सन्दर्भ में कोताही बरतने वाले सम्बधिंत अधिकारी विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्रावधान किये गये है। यद्यपि इससे पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सका है फिर भी इसने जन–जागरूकता एवं नागरिक अधिकारों के मार्ग खोल दिए हैं। इसी तरह से भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति जो कि तीन सदस्यीय कमेटी होती है और इसकी अध्यक्षता सेवानिर्वत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करता है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा इस सन्दर्भ में संसद द्वारा जन लोकपाल प्रस्ताव की मंजूरी हेतू जन आंदोलन चलाया गया जिसके समर्थन में बड़ी संख्या में जन–मत उभरा है। बाबा रामदेव द्वारा विदेशों में जमा भारतीय काले धन को वापस लाने की मुहीम पुलिस की लाठीयों की शिकार बनी। **राजनीतिक प्रतिबद्धता–** यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार एवं काले धन के निवारण हेतु गठित की गयी सभी संस्थाएं तभी प्रभावकारी हो सकती है जब राजनीतिक वर्ग इसके प्रति प्रतिबद्ध हो क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व ही अंतिम कानूनी व प्रशासनिक अधिकरण होते हैं। जब तक राजनीतिज्ञ सार्वजनिक नैतिकता की बजाय निजी विवेक और राष्ट्रहित की तुलना में निजी लाभ को वरीयता देगें तब तक इस असंयमित राजकोष की लूट को नहीं रोका जा सकता। **प्रशासनीक उत्तरदायित्व–** सभी स्तरों पर उतरदायित्व के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाना भ्रष्टाचार एवं काले धन की रोकथाम का अन्य मुख्य पहलू है। भारत में जनता से सम्बधिंत विस्तृत दायरे में सरकार काम करती है और विभिन्न स्तरों पर निर्णय लिये जाते है। वर्तमान परिस्थिती यह है कि प्रशासन में उत्तरदायित्व की कमी है। न्यायपालिका इसमें यह निर्धारित करने की भूमिका रखती है कि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां कानून के दायरे में ही इस्तेमाल की जाएं और प्रत्येक व्यक्ति शक्तियों के दुरूपयोग और गलत कार्यों के लिए उतरदायी हो। नागरिक समाज की भागीदारी रू नागरिक समाज का अभिप्राय राज्य व साधारणतया घर के बीच संगठन के क्षेत्र से लिया जाता है। साधारणतया इसमें व्यावसायिक संगठनों और अलाभकारी संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह के संगठन सामाजिक हितों को सामने लाने और इस दिशा में कार्यवाही करने व सामाजिक एकता, प्रशासन में सामाजिक सहभागिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाते है। सिविल सोशायटी उतरदायित्वपूर्ण, पारदर्शी और प्रतिबद्ध तरीके से काम करने हेतू राज्य का मार्गदर्शन कर सकती है।

निष्कर्ष–

भ्रष्टाचार आधारभूत संगठन की कमजोरी का लक्षण है और इस तरह के लक्षण के प्रति लापरवाही बरतने की बजाय इसे मिटाने के उपाय किये जाने चाहिए। इस दिशा में जन भागीदारी के साथ एकता और जागरूकता से युक्त प्रयास किये जाने आवश्यक है। साथ ही संस्थागत सुधारों में भी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। भ्रष्टाचार एवं काले धन को रोकने में निरोधक उपायों व प्रवर्तन उपायों में संतुलन आवश्यक है। कानून को लागू करने वाली संस्थाऐं भी वर्तमान में खुद भ्रष्टाचार का हिस्सा बन गई हैं ऐसी स्थिती में इस समस्या से निपटना और भी चुनौतिपूर्ण कार्य बन गया है। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर पर गैर–राजनीतिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अहिंसक और शांतिपूर्ण धरने, भूख हड़ताल, रैलियां, नागरिक अवज्ञा, विरोध प्रदर्शन और जन आक्रोश देखने को मिला। यह आंदोलन मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून और जन लोकपाल की मांग तथा राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया और न्यूयार्क से प्रकाशित टाईम मैग्जीन में प्रकाशित 10 मुख्य खबरों की सुर्खियों में छाया रहा। योगगुरू बाबा रामदेव की अगुवाई में कालेधन के विरोध में चले प्रदर्शन ने भी जन आक्रोश को उभारा है।

***राजनीति विज्ञान विभाग**
राजकीय महाविद्यालय
झालावाड़ (राज.)

सन्दर्भ सूची–

- All India Reporter (AIR) SC 870, State of MP V/s Shro Ram Singh, April, 2000.
- Bardhan, Pranab, Corruption and Department: A Reviewal Issues, Journal of Economic Liturature, 35(1997).

- Dwivedy, Surendranath; Bhargava, G. S. (1967). Political Corruption in India
- Guhan, Sanjivi; Paul, Samuel (1997). Corruption in India: Agenda for Action. Vision Books
- Gupta, K. N. (2001). Corruption in India. Anmol Publications Pvt Ltd. ISBN 8126109734.
- Halayya, M. (1985). Corruption in India. Affiliated East-West Press
- Kar, Dev (2010). The Drivers and Dynamics of Illicit Financial Flows from India: 1948-2008. Washington, DC: Global Financial Integrity.
- Kohli, Suresh (1975). Corruption in India: The Growing Evil. India: Chetana
- Pvt.Ltd. ISBN 0861865804.
- Noorani, A.G., Minister's misconduct, Delhi, Vilash Publishing House, 1973.
- S.S. Gill (1998) The Pathology of Corruption ; HarperCollins Publishers India
- Vishvanathan, Shiv & Harsh Sethi (Eds.), Chronicles of Corruption, 1947-97, New Delhi, Business India, 1997.
- Vittal, N. (2003). Corruption in India: The Roadblock to National Prosperity. Academic Foundation. ISBN 8171882870
- Vittal, N., Applying Zero tolerance to Corruption. Http://cvc.nic.in, 1999.